



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

RIYASAT ALI (Advocate)
Regd. No. UP-12314/2019
Distt. Court Tehsil Sadar, Rampur



Certificate No. : IN-UP50486082508508U
Certificate Issued Date : 25-Mar-2022 03:11 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14128004/ RAMPUR SADAR/ UP-BMP
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1412800491870254543677U
Purchased by : GUIDANCE SOCIAL AND EDU TRUST TH CH MAAZ NUSRAT
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description : FOR TRUST DEED
Consideration Price (Rs.) :
First Party : GUIDANCE SOCIAL AND EDU TRUST TH CH MAAZ NUSRAT
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : GUIDANCE SOCIAL AND EDU TRUST TH CH MAAZ NUSRAT
Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,000
(One Thousand only)

सत्यमेव जयते

LOCKED BY

S.R. SADAR, RAMPUR



₹1,000

Please write or type below this line

IN-UP50486082508508U

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

QT 0008555402

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ट्रस्ट डीड

"गाइडेन्स सोशल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट"

प्रधान पता:- निकट कोयला टोल प्लाजा ग्राम वाजिदपुर तहसली सदर जिला रामपुर।

(Guidance Social & Educational Trust)

(Head Office- Near Koyla Toll Plaza Village-Wajidpur Tehsil Sadar District Rampur)

(धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ न्यास)

आज दिनांक-24/03/2022 को ट्रस्टी/सचिव मंजूर अहमद खां पुत्र श्री लतीफ मोहम्मद खां निवासी घेर नज्जू खां तह0 सदर जिला रामपुर द्वारा "गाइडेन्स सोशल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट" पता- ग्राम वाजिदपुर निकट कोयला टोल प्लाजा तहसील सदर जिला रामपुर का गठन किया गया है जिसका विवरण न्यास पत्र में निम्नलिखित न्यास के संस्थापकगण धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजन न्यास गठित करते हैं।

क्रं सं०	न्यास के संस्थापक सदस्यगण	पदनाम
1.	माज नुसरत पुत्र श्री नुसरत हुसैन खां निवासी मोहल्ला बजौडी टोला रामपुर नेशनल हायर सेकेंड्री स्कूल स्ट्रीट रामपुर। आधार सं० XXXX XXXX 9838 मौ० न० 7060401250	अध्यक्ष
2.	मोहददीस खान पुत्र श्री मंजूर खां निवासी मो० घेर नज्जू खां तह० सदर जिला रामपुर। आधार सं० XXXX XXXX 1142 मौ० न० 7417822219	उपाध्यक्ष
3.	मंजूर अहमद खां पुत्र श्री लतीफ मोहम्मद खां निवासी घेर नज्जू खां पी०एस० गंज रामपुर। आधार सं० XXXX XXXX 6825 मौ० न०	सचिव
4.	जाकिर अली पुत्र श्री जुम्मा निवासी ग्राम खिजरपुर तह० सदर जिला रामपुर। आधार सं० XXXX XXXX 9977 मौ० न० 9927167839	कोषाध्यक्ष
5.	मोहम्मद शबरेज खां पुत्र श्री छैला खां निवासी घेर जानस खां तह० सदर जिला रामपुर। आधार सं० XXXX XXXX 0735 मौ० न० 9368483454	उपसचिव



- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. न्यास का नाम | - "गाइडेन्स सोशल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट" |
| 2. न्यास का प्रधान कार्यालय | - निकट कोयला टोल प्लाजा ग्राम वाजिदपुर
तहसील सदर जिला रामपुर। |
| 3. न्यास के उद्देश्य | - (राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगा) |
| 4. न्यास का कार्य क्षेत्र | - सम्पूर्ण भारत |

समाजिक

"गाइडेन्स सोशल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट" की सम्पत्ति की देखभाल व जीर्णोद्धार व सुरक्षा व रख-रखाव करना व समस्त प्रकार के धार्मिक आयोजन आदि की व्यवस्था करना। आयोजन से सम्बन्धित समस्त कार्यों को अन्जाम देना, समस्त प्रकार के धार्मिक उत्सव, मेले, जुलूस, अनुष्ठान व आध्यात्मिक प्रवचन आदि आयोजित करना, धार्मिक शिक्षा, सेवा केन्द्रों की स्थापना करना, धार्मिक उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के लिये निःशुल्क जलपान आदि की व्यवस्था करना तथा उसके बैठने के लिये उचित प्रबन्ध करना। निर्धन कन्याओं का विवाह कराना दीन एवं गरीबों की मदद करना, योग शिविर आयोजित करके रोगों का उपचार करना, गौशाला का निर्माण कर गायों की रक्षा करना व उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने के लिये प्रयासरत रहना।

धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ न्यास के कार्यों का न्यासीगणों की इच्छानुसार देश-विदेश के विभिन्न स्थानों पर विस्तार करना। समाजिक कल्याणकारी कार्य हेतु विश्व सभी वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकता एवं अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रोत्साहन सहायता सहयोग एवं जागरूकता प्रदान करना।





समाज के निर्धन, असहाय, अनाथ, गरीब व्यक्तियों, को निःशुल्क शिक्षा, वस्त्र, भोजन, मकान, चिकित्सा, पेयलज, पुस्तक, स्कूल ड्रेस, इत्यादि प्रदान करना, वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता एवं कल्याण हेतु प्रयास करना एवं वृद्धाश्रम स्थापित करना व उनका संचालन करना व सभी वर्ग की लड़कियों की शादी करने में सहयोग करना तथा डूडा, कपार्ट, नाबार्ड हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग जिला उद्योग केन्द्र, समाज कल्याण विभाग, अलसंख्यक विभाग, तथा पिछड़ा वर्ग के द्वारा अनुदान राशि प्राप्त कर कार्य करना। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियन्त्रण पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रसार करना। समाज के सभी वर्ग के स्वास्थ्य व दृढ़ इच्छाशक्ति हेतु योग व देशी जड़ी-बूटियों को प्रत्सोहन करना।

समाज में ऊँच-नीच, जात-पात, छुआ-छूत, विधवा/परित्याक्ता आदि अज्ञानता/बुराईयां को दूर कर जनसेवार्थ सामाजिक न्याय दिलाने में लोगो की सहायता करना।

समाज के सर्वांगीण विकास के लिये योजना बनाना समान उद्देश्यों के लिये कार्यरत संस्थाओं के सम्बद्ध करना तथा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी व गैर सरकारी तंत्र व समाज सेवी व्यक्तियों/संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करना तथा इस हेतु अनुदान/सहायता लेना/देना। अलसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएँ, प्रशिक्षण संस्थान व परामर्श केन्द्र आदि स्थापित करना एवं संचालन करना। प्रतिभाशाली किन्तु निर्धन छात्र/छात्राओं की प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करना।















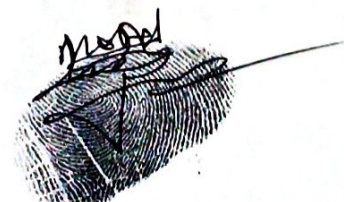
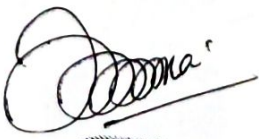

सांस्कृतिक

भारत की राष्ट्रीय एकता विरासत को गौरान्वित करने हेतु प्रचार-प्रसार करना। व्यवस्थित भरे वातावरण में उत्पन्न व्यक्तियों की परेशानियों के निवारण हेतु विभिन्न धार्मिक पर्वों एवं मेलों का आयोजन करना तथा अपनी विस्मृत विरासत वैदिक तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिक परामर्श उपलब्ध कराना।

मानव समाज के सभी धर्मों/जातियों के बच्चों, महिलाओं व पुरुषों के बिना जाति एवं लिंगभेद के एक दूसरे की भाषा, सांस्कृति, भौगोलिक एवं प्राचीन विद्या ज्ञान को आपसी मेल-मिलाप अनेकता में एकता भी भावना, यात्रा एवं पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान/सहायता प्रदान/प्राप्त कराना। सांस्कृति कल्याकारी कार्य हेतु विश्व के सभी वर्ग के लोगो को उनकी आवश्यकता एवं अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रोत्साहन सहायता सहयोग एवं राष्ट्रीय स्तर पर दया दान परोपकार अतिथि सत्कार की भावना एवं विकास एवं नैतिक मूल्य युक्त जीने हेतु प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से लोगो को प्रशिक्षण/जागरूक करना। न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार सृजानात्मक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम द्वारा जन-जागरण करना।

1. कम्प्यूटर शिक्षा निःशुल्क प्रदान करना। मोबाइल रिपेरिंग प्रशिक्षण प्रदत्त कर युवको युवतियों को स्वावलम्बी बनाना तथा अन्य कोर्सेज जैसे:-डी0टी0पी0 साइबर सुरक्षा और एथिकल हैकिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब डिजाइन और ड्राइंग, सीसीसी कम्प्यूटर, फोटोशॉप, कम्प्यूटर हार्डवेयर, एक्सेल का बेसिक कम्प्यूटर, एम एस वर्ड, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन आदि का शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विशेष रूप के मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के विकास हेतु हिन्दी, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, आदि तथा दीनी व दुनियावी तालीम प्रदान करना तथा मदरसा स्थापित कर संचालन करना।
3. क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था हेतु निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के मदरसो, स्कूलो, विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी एवं प्रबंधकीय विद्यालयो की स्थापना करना।
4. छात्र एवं छात्राओं को स्वावलम्बी नागरिक बनाने के लिये समुचित शिक्षा का प्रबन्ध करना।

5. छात्र / छात्राओं का चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भर, राष्ट्र प्रेम व राष्ट्रीयता उत्पन्न करना।
6. छात्र / छात्राओं को कर्मठ, आत्म स्वाभिमानी बनाना।
7. शिक्षा सम्बन्धित समस्त उपकरण का प्रबन्ध करना।
8. वर्तमान युग के बच्चों को आत्मनिर्भर, विवेकशील बनाकर राष्ट्र चेतना, जागृत कर स्वच्छ व समाजिक निहित समाज की व्यवस्था करना।
9. ग्रामीण जनता को शिक्षा प्रचार-प्रसार कर अज्ञानता से दूर कर सफल व सजग नागरिक बनाना।
10. वर्तमान युग में फैली कुरीतियों, अंध विश्वास जैसे धर्मान्धता, क्षेत्रवाद, दहेज प्रथा आदि को दूर कर स्वच्छ समाज की स्थापना करना।
11. ग्रामोत्थान हेतु समय-समय पर प्राप्त राजकीय सहायता व समाजसेवियों के धनोपार्जन के लिये सदैव प्रत्यनशील रहना।
12. युवक एवं युवतियों को निर्देशन, फैशन डिजाईनिंग, ऑटोग्राफी, एडीटिंग, राइटिंग, प्रोडक्सन आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना उनको स्वालम्बी बनाना।
13. खेलकूद के मैदानों का विकास करना। खेलकूद हेतु इन्डोर हॉल का निर्माण करना स्विमिंग पूल तथा स्पोर्ट्स एकाडमी स्थापित करना।
14. सिलाई कढ़ाई केन्द्रों की स्थापना करना।
15. अन्य समस्त समाजिक कार्यों को बढ़ावा देना।
16. कुष्ठ रोगियों का निःशुल्क इलाज करना।
17. असहाय, अशक्त एवं मानसिक विकलांग बच्चों के शैक्षणिक, भरण-पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना, निःशुल्क स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना।
18. पिछड़े हुए युवजनों के लिये प्रमोद गृह, अरोग्य मन्दिर और बौद्धिक विकास के लिये पुस्तकालय, वाचनालय केन्द्रों की स्थापना करना।
19. निरक्षित महिलाओं हेतु रहन-सहन की व्यवस्था करना।
20. निरक्षित महिलाओं और बच्चों के लिये आश्रम स्थल, नारी सुलभ उद्योगों का निःशुल्क प्रशिक्षण एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना।



21. गरीब जनता के लिये औषधियों का निर्माण करना जिसके लिये जड़ी बूटी केन्द्र उद्यान एवं निर्माण शालाओ की स्थापना करना। भारतीय चिकित्सा पद्धति का विकास प्रचार-प्रसार हेतु संसाधन जुटाना एवं गरीबों के लिये अस्पताल का निर्माण व संचालन करना जिसमे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध करना।
22. अपारम्परिक ऊर्जा श्रोतो, सयंत्रो, गौबर गैस सौर ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमो का प्रदर्शन स्थापना तथा विकास करना।
23. संक्रमण रोगों जैसे-एडस/एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, टीबी, कोविड-19, तथा अन्य महामारियों इत्यादि रोगों की रोकथाम हेतु छिड़काव एवं संक्रमण से बचाव के लिए प्रचार प्रसार करना।
24. हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्य करना एवं हस्तशिल्प के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन करना तथा कोशल विकास जैसी अन्य कार्यक्रमो का संचालन करना।
25. राष्ट्रीय एकता सदभावना एवं विश्व बन्धुत्व के प्रति चेतना व जाग्रति का विकास करना।
26. इलैक्ट्रेशियन, मोबाईल, फ्रीज, एसी, इन्वर्टर का प्रशिक्षण प्रदान स्वालम्बी बनाना।
27. नशा मुक्ती केन्द्रों की स्थापना करना व उनका संचालन करना।
28. स्वास्थ्य एवं स्वच्छ भारत, सामर्थ्य भारत, स्वदेशी जागरण, नशा मुक्त आन्दोलन आदि के संकल्प लेना तथा उससे सम्बन्धित कार्यक्रमो में सहयोग प्रदान करना।
29. स्वस्थवध/वेद स्वस्थवध, पोषण संस्कार, गौपेशी, गौशाला स्थापित करना एवं वन औषधियों का परिचय करना।
30. योग विज्ञान, शिक्षण-प्रशिक्षण, अनुसंधान योगायुर्वेद का प्रचार-प्रसार, असंगत योग पराक्रम बन्द मुद्रा कैवल्य, आयुष चिकित्सा संवर्धन, दिव्य योग, साधना सत्र आदि रचनात्मक कार्यक्रमों का उन्नयन व क्रियान्वय करना।
31. "गाइडेन्स सोशल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट" द्वारा निर्धारित कार्यालयों में निर्धारित औपचारिकताओ पूर्ण कर समाचार पत्र, पत्रिका, न्यूज चैनल का संचालन करना।



32. "गाइडेन्स सोशल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट" द्वारा भिन्न-भिन्न नामों से समितियाँ (एन0जी0ओ0) स्थापित करना राष्ट्र समाज, अल्पसंख्यक हितों के लिये समस्त कार्य करना।

33. देश एवं विदेश की उद्देश्य वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उद्देश्य की पूर्ति करना।

34. लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ मीडिया (पत्रकारिता) से जुड़े प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों के हितों के लिये "गाइडेन्स सोशल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट" स्थापित कर उनका संचालन "गाइडेन्स सोशल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट" के अन्तर्गत करना। अपरोक्त उद्देश्यों से भिन्न मानव समुदाय की सहायता के लिये आवश्यक अन्य जन उपयोगी सेवा कार्य को करना।

5. धन सम्बन्धित नीति:-

न्यास के रख-रखाव एवं व्यय हेतु सभी संस्थापक सदस्यों द्वारा प्रारम्भिक धनराशि 5,000रु0- पांच हजार रु0 एकत्र की गयी। जिसमें न्यास गठन सम्बन्धित कार्य का सुभारम्भ किया जायेगा। भविष्य हेतु धन की व्यवस्था न्यास का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा।

न्यासगण दान-अनुदान, योगदान, सहायता, सहयोग किसी भी व्यक्ति स्थानीय प्राधिकारी, सरकार या अन्य धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ संस्थाओं से नगद धनराशि चल या अचल सम्पत्ति बिना किसी शर्त व बन्धन के प्राप्त कर सकते हैं। न्यासीगण न्यास की आय को लाभार्थियों का लाभ और न्यास के निमित्त प्राप्त/आय और व्यय करेंगे।

6- न्यासीगण के कर्तव्य एवं अधिकार-

क- न्यास की समस्त चल व अचल सम्पत्ति न्यास के लाभार्थ प्रबन्ध करना एवं उसे किसी भी वाद-विवाद से बचाने का अधिकार होगा।

ख- न्यास हेतु कर्मचारी नियुक्त करना उनकी सेवा, पारिश्रमिक, वेतन, पद से हटाने आदि शर्तें तय करना।

ग- न्यास की निधियों को बैंक/कम्पनी/चल/अचल सम्पत्ति में न्यास के लाभार्थ निवेश करना।



घ- न्यास की सम्पत्ति को न्यास के विकासार्थ, लाभार्थ पुनः निवेश करने हेतु बेचना, खरीदना, बदलना, हस्तांतरण करना, दान करना या रद्दो बदल का अधिकार समस्त न्यासीगण की सहमति से होगा।

ड- बैंक ऋण इत्यादि हेतु न्यास की सम्पत्ति को बन्धक रखने का अधिकार सचिव व कोषाध्यक्ष को समस्त न्यासीगण की सहमति से होगा।

च- न्यास के निमित्त सुचारु रूप से संचालन के लिए सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाते खोलना।

छ- न्यास की सम्पत्ति के हितार्थ न्यास सम्बंधी समस्त व्यय-भार, जिम्मेदारियों, देनदारियों एवं न्यास की सम्पत्ति के प्रबन्ध और प्रशासन सम्बन्धि आकस्मिक व्ययों का भुगतान करना।

ज- न्यास के किसी भी उद्देश्य हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने का मात्र न्यासीगणों का अधिकार होगा।

झ- कोई भी न्यासी दूसरे न्यासी को एक महीने का नोटिस लिखित रूप में देकर स्वेच्छा से न्यास से सेवानिवृत्त हो सकता है और न्यासी अपने पद पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है। न्यास के लाभार्थ यदि न्यासी कोई व्यय करता है तो वह उस व्यय को न्यास से पाने का हकदार होगा।

ट- जब भी कोई चल-अचल सम्पत्ति न्यास हेतु खरीदी जायेगी वो न्यास की अपनी सम्पत्ति होगी। न्यासीगणों का उस सम्पत्ति पर कोई सरोकार या आधिपत्य नहीं होगा। यह न्यासी सम्पत्ति धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ होगी। सम्पत्ति के क्रय-विक्रय या इससे सम्बंधित अभिलेख पर हस्ताक्षर करने का अधिकार सभी समान्य रूप से न्यासीगण का होगा।

ठ- न्यास पत्र में लिखित संस्थापक न्यासी/न्यासीगणों को किसी भी प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं जा सकता है।

ड- समस्त न्यासीगणों को विशेष परिस्थितियों में आपसी सहमति से न्यास के लाभार्थ नियमावली में संशोधन का अधिकार होगा।

च- न्यास द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में निर्मित एस0एम0सी/सी0एम0सी0 कमेटी के मेम्बर तथा पदाधिकारी न्यास के संस्थापक सदस्यों तथा कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है।

7- न्यास के अंग:-

न्यास में केवल साधारण सभा होगी।

अ- गठन, न्याय के समस्त न्यासी साधारण सभा के सदस्य होंगे।

ब- बैठके, न्यास की साधारण बैठक एक साप्ताह पूर्व व न्यास की वार्षिक बैठक विशेष बैठक 24 घण्टे पूर्व की सूचना पर बुलायी जा सकती है।

स- गणपूर्ति, साधारण सभा की सभी बैठको के लिये कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत के अतिरिक्त एक सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी।

द- साधारण सभा के विषय, 1. वार्षिक आय व्यय का बजट पारित करना।
2. न्यास की उन्नति के लिये नीति निर्धारित करना।
3. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित करना।
4. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभी आवश्यक कार्यों का सम्पादन।

8- न्यास में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे-

चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में न्यास के संस्थापक सदस्य पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। विशेष परिस्थितियों में चुनाव को टाला भी जा सकता है।

कार्यकाल- न्यास के समस्त पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

9- न्यास के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

अध्यक्ष

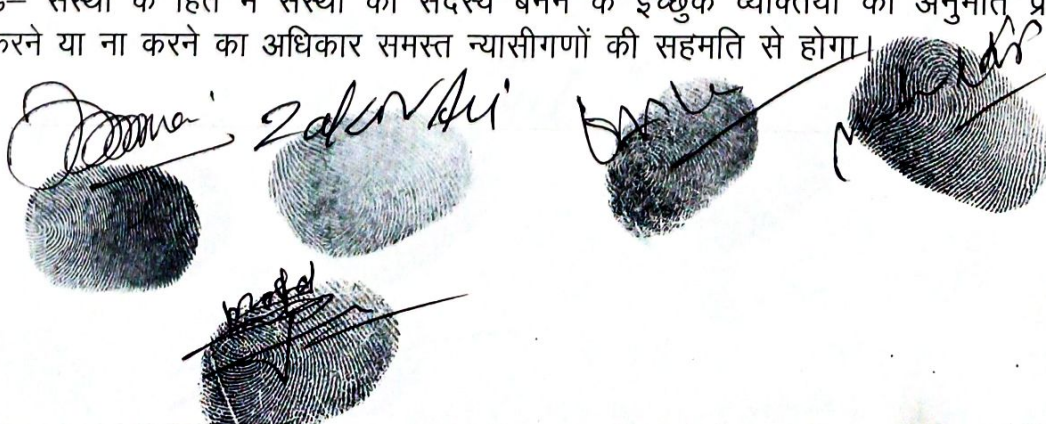
क- न्यास का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा तथा न्यास की उन्नति हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा जिसपर अन्य न्यासीगण विचार करके अपनी सहमति प्रदान करेंगे। समस्त न्यासीगण की सहमति से ही उक्त सुझाव मान्य होगा।

ख- न्यास के समय-समय पर होने वाले अधिवेशन व बैठक की अध्यक्षता करेगा।

ग- समस्त न्यासीगण का निर्णय सर्वमान्य होगा।

घ- किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर उसकी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया संस्थापक न्यासीगणों की सहमति से पूर्ण होगी।

ङ- संस्था के हित में संस्था का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों को अनुमति प्रदान करने या ना करने का अधिकार समस्त न्यासीगणों की सहमति से होगा।

Signature: Zakir Hussain


ट- ट्रस्ट हेतु भूमि अधिग्रहण करना व उसको बेचना तथा भूमी बेचने से प्राप्त रकम को ट्रस्ट के कार्य हेतु खर्च करने का अधिकार समस्त न्यासीगणों की सहमति से सचिव तथा कोषाध्यक्ष को होगा।

ठ- न्यास से सम्बन्धित दस्तावेज-प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना तथा कानूनी कार्यवाहियों में न्यास की पैरवी करना या अन्य न्यासी सदस्यों की सहमति से अन्य किसी को इस हेतु नियुक्त करना तथा ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी आपसी सहमति के बिना कार्य नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों का निर्वाहन करना तथा अध्यक्ष के कार्यों में उसका सहयोग करना।

सचिव

क- न्यास की प्रतिदिन की गतिविधियों हेतु जिम्मेदार होगा एवं न्यास का उचित रूप से प्रबन्ध करेगा।

ख- न्यास द्वारा पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों का न्यासीगणों के सहयोग से क्रियाव्ययन करेगा।

ग- न्यास की और से पत्र-व्यवहार करेगा।

घ- न्यास का हिसाब-किताब, दान/अनुदान/सहायता राशि/चन्दा आदि प्राप्त करना एवं समुचित रजिस्टर में अंकित करना।

ङ- न्यास के अभिलेख व्यवस्थित रूप से तैयार करना व उनका रख-रखाव।

च- वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना एवं न्यास के उद्देश्यों में निहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित तन्त्र व समस्त न्यासीगणों से समन्वय स्थापित कर उद्देश्यों की पूर्ति करना।

छ- वह अन्य समस्त कार्य जो न्यास हित में आवश्यक हों और उद्देश्यों में लिखने से रह गये हों उन्हें करना।

ड-न्यास में पदों का सृजन तथा उन पर नियुक्ति केवल न्यास का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये किया गया है। वास्तव में तो समस्त न्यासीगणों का न्यास पर समान अधिकार है तथा समान रूप से सभी न्यासीगण न्याय के प्रति उत्तरदायी है।

उप-सचिव

सचिव की अनुपस्थिति में सचिव द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों का निर्वाहन करना तथा सचिव के कार्यों में उसका सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष

न्यास के आय-व्यय का हिसाब-किताब रखेगा तथा कोष का प्रभारी होगा। उन कार्यों को सम्पादित करेगा जिन्हें कार्यकारिणी निर्देशित करे। जरूरत के लिए 5 हजार रुपये अपने पास रखने का अधिकार रखेगा व धनराशि की सीमा जरूरत पड़ने पर घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

The bottom of the page features several handwritten signatures and fingerprints. From left to right, there are four distinct fingerprints, each with a signature written over it. The signatures are in dark ink and appear to be cursive or stylized. The fingerprints are also in dark ink and are clearly visible.

10- रिक्तियों का भरा जाना

न्यासियों की किसी भी कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति को न्यासी के उत्तराधिकारी द्वारा भरा जायेगा।

11- न्यास का कोष

समस्त धनराशि को सुरक्षा पूर्वक रखने हेतु न्यास का खाता नियमानुसार किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में खोला जायेगा और इसका संचालन सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

12- लेखा परीक्षक

न्यास के आय-व्यय का परीक्षण प्रतिवर्ष किसी योग्य ऑडिटर से कराया जायेगा तथा जांच के बाद इसकी रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा।

13- विधिक कार्यावाही

न्यास की सभी कानूनी कार्यावाही सचिव के पदनाम से की जायेगी तथा न्यास के विरुद्ध की जाने वाली प्रत्येक कार्यावाही का अधिकार क्षेत्र प्रधान कार्यालय रामपुर से होने के कारण रामपुर में ही होगा।

14- न्यास के अभिलेख

क- कार्यक्रम सूचना रजिस्टर

ख- कार्यावाही रजिस्टर

ग- स्टॉक रजिस्टर

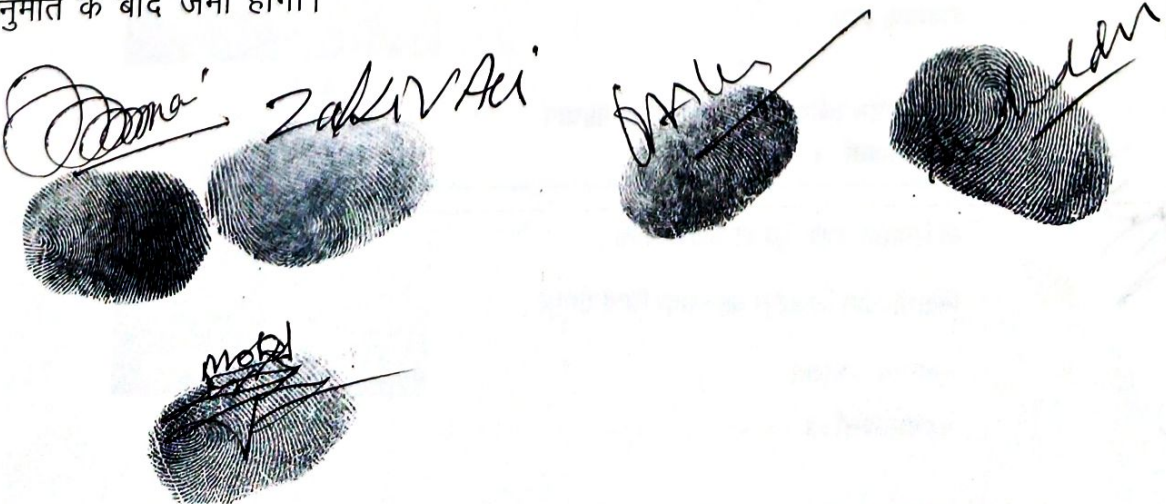
घ- सदस्यता रजिस्टर

ड- कैशबुक/आय-व्यय रजिस्टर

15- न्यास का विघटन/समापन

यह कि किसी विषय पर न्यास में विवाद होता है तो उसमें सभी न्यासियों का सम्मिलित निर्णय मान्य होगा एवं यदि अपरिहार्य कारणों से न्यास का विघटन/समापन करना पड़ता है जो न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का निस्तारण न्यायालय/धर्मार्थ आयुक्त/तत्कालीन कानून के अनुसार किया जायेगा।

15- न्यास की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग-न्यास की सदस्यता हेतु कोई भी व्यक्ति जो बालिग हो और न्यास का सदस्य बनने का इच्छुक हो, निम्न प्रकार सदस्यता शुल्क अदा करके किसी भी वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। सदस्यता शुल्क न्यासीगण की अनुमति के बाद जमा होगा।

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Zakir Ali'. Below the signature are four distinct fingerprints, also in black ink, arranged in a row. The fingerprints are of varying sizes and orientations, showing the ridges and valleys of the skin.

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 59

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री माज़ नुसरत,
पुत्र श्री नुसरत हुसैन खां
व्यवसाय : अन्य
निवासी: मोहल्ला बजौडी टोला रामपुर नेशनल हायर सेकेंड्री स्कूल स्ट्रीट रामपुर



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/03/2022 एवं 03:51:19 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आम प्रकाश (प्रभारी)

उप निबंधक : सदर

रामपुर

26/03/2022

राजेन्द्र कुमार द्विवेदी

निबंधक लिपिक



बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 59

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री माज़ नुसरत, पुत्र श्री नुसरत हुसैन खां

निवासी: मौहल्ला बजौडी टोला रामपुर नेशनल हायर
सेकन्ड्री स्कूल स्ट्रीट रामपुर

व्यवसाय: अन्य

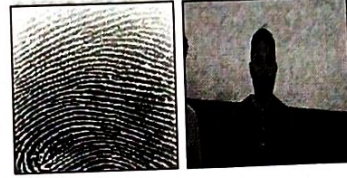


न्यासी: 2

श्री मोहदीस खान, पुत्र श्री मंजूर खां

निवासी: निवासी घेर नज्जू खां तह० सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: अन्य



न्यासी: 3

श्री मंजूर अहमद खां, पुत्र श्री लतीफ मोहम्मद खां

निवासी: घेर नज्जू खां पी०एस०गंज रामपुर

व्यवसाय: अन्य

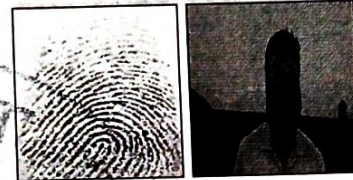


न्यासी: 4

श्री ज़ाकिर अली, पुत्र श्री जुम्मा

निवासी: ग्राम खिजरपुर तह० सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: अन्य



न्यासी: 5

श्री मोहम्मद शबरेज़ खां, पुत्र श्री छैला खां

निवासी: घेर जानस खां तह० सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री रियासत अली, पुत्र श्री अकबर अली

निवासी: ग्राम खिजरपुर तह० सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता: 2



[Handwritten signature]

श्री जीशान अली खान, पुत्र श्री कायम अली खां
निवासी: घेर सखी तह० सदर जिला रामपुर
व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।
टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
[Signature]
ओम प्रकाश (प्रभारी)
उप निबंधक: सदर
रामपुर
[Signature]
राजेन्द्र कुमार द्विवेदी
निबंधक लिपिक



इस वास्ते यह न्यास विलेख की घोषणा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्ते जरूरत काम आवे।

हस्ताक्षर सचिव (ट्रस्टी)

हस्ताक्षर सचिव (ट्रस्टी)

हस्ताक्षर उपाध्यक्ष (ट्रस्टी)

हस्ताक्षर उपाध्यक्ष (ट्रस्टी)

हस्ताक्षर उपसचिव (ट्रस्टी)

साक्षी-1

साक्षी-2

रियासत अली पुत्र श्री अकबर अली
नि० ग्राम खिजरपुर तह० सदर
जिला रामपुर।
आधार स० XXXX XXXX 1125
मो० न०- 8958153156

जीशान अली खान पुत्र श्री कायम अली खान
नि० घर सखी, तह० सदर जिला रामपुर।
आधार स० XXXX XXXX 8947
मो० न०-9891338607

न्याय अभिलेख आज दिनांक:- 25/03/2022 ई० को बमुकाम तहसील सदर
जिला रामपुर में न्यासीगण बमशवरे रियासत अली पुत्र श्री अकबर अली
रामपुर द्वारा तहरीर किया गया। RIYASAT ALI (Advocate)

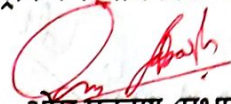
Regd. No. UP-12374/2019
Distt. Court Tehsil Sader, Rampur

8958153156

आवेदन सं०: 202200726003043

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 241 के पृष्ठ 359 से 386 तक क्रमांक
59 पर दिनांक 26/03/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


ओम प्रकाश (प्रभारी)

उप निबंधक : सदर

रामपुर

26/03/2022

